

E-mail

प्रेषित

सभी उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियां, हरियाणा राज्य में।

यादि क्रमांक:- 2012/विप-11/16435-40
दिनांक 07.12.2021


विषय:

1. सहकारी विपणन समितियों की खाली पड़ी जगह को किराए /लीज पर देने हेतु निर्धारित प्रोफार्मा।
2. हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 के सैक्शन 89 के तहत सहकारी विपणन समितियों की अचल सम्पति बेचने की मंजूरी/स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के लिए मुख्य बिंदु/प्रोफार्मा

उपरोक्त विषय के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों से समय-समय पर विषय वर्णित केस मुख्यालय को स्वीकृति हेतु प्राप्त होते हैं। अतः उपरोक्त संबंध में रजिस्ट्रार महोदय की स्वीकृति उपरोक्त संलग्न प्रोफार्मा तैयार किया गया है।

अतः इस संबंध में आपको लिखा जाता है कि संलग्न प्रोफार्मा अनुसार ही केस मुख्यालय को भेजे जाए।

संलग्न: उक्तानुसार


उप अधीक्षक (विपणन)
कृते: रजिस्ट्रार सहकारी समितियां,
हरियाणा, पंचकूला।

7 जमीन का उपयोग प्रार्थी द्वारा केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए प्रार्थी ने आवेदन दिया है।

प्रोफार्मा-1

विषय: सहकारी विपणन समितियों की खाली पड़ी जगह को किराए /लीज पर देने हेतु निर्धारित प्रोफार्मा

सहकारी विपणन समितियों के परिसमापक/उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा जमीन को किराए पर देने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा अनुसार निम्नलिखित विंदुओं अनुसार मुख्यालय को उचित माध्यम द्वारा भेजा जाए।

(A) सहकारी विपणन समिति का नाम..... Working/Wind up----- Remarks -----

1	समिति के निदेशक मंडल/प्रशासक द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति	
2	समिति की किराये पर दी जाने वाली जमीन का कलैक्टर रेट (तहसीलदार द्वारा सत्यापित की गई)।	
3	समिति की किराये पर दी जाने वाली जमीन का मार्केट रेट सम्बन्धित(तहसीलदार द्वारा सत्यापित की गई)।	
4	समिति की जमीन को किराये पर देने का स्पष्ट कारण।	
5	समिति की किराये पर दी जाने वाली जमीन का क्या उपयोग किया जाएगा।	
6	जमीन का नक्शा-सजरा, किलेबंदी आदि	
7	भूमि की आयताकार पैमायस	

(B) प्रार्थी को जमीन को किराये पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तें/नियम लागू होंगे-

- 1 निर्धारित की गई जमीन पर किसी तरह का स्थाई निर्माण करना मान्य नहीं होगा, केवल अस्थाई तौर पर ढांचे का स्वरूप दिया जा सकता है। जिसका आवेदक स्वयं अपने खर्चे से अस्थाई निर्माण करवाएगा।
- 2 परिसमापक/समिति BOD/BOA को पूरा अधिकार होगा कि वह एक माह का नोटिस देकर कभी भी जगह खाली करवा सकता है।
- 3 किरायेदार के द्वारा प्रयोग की जाने वाली जगह का किराया प्रत्येक माह की 7 तारीख तक अदा करना होगा।
- 4 कम से कम एक माह का किराया बतौर सिक्योरिटी के लिए जमा करवाना होगा, जोकि आवेदक के कार्यकाल समाप्त होने पर वापिस किया जाएगा।
- 5 जमीन को किराये पर देने की मंजूरी मिलने पर प्रार्थी द्वारा तीन महीने का किराया एंडवास में जमा करवाना होगा। 11 महीने बाद 10% किराया बढ़ा दिया जाएगा।
- 6 समय-समय पर अगर कोई नया निर्देश परिसमापक/समिति विभाग द्वारा दिया जाएगा तो इसकी अनुपालना आवेदक द्वारा करनी होगी।
- 7 जमीन का उपयोग प्रार्थी द्वारा केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए प्रार्थी ने आवेदन दिया है।



8. बिजली पानी व अन्य लागू शुल्क यदि कोई हो तो प्रार्थी द्वारा वहन किया जाएगा। सिक्योरिटी बिजली पानी की कटौती / No Dues आने पर वापिस की जाएगी।
9. सम्बंधित सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां तथा परिसमापक द्वारा समय-समय पर, किराए पर दी गई जमीन का निरीक्षण किया जाएगा।
10. यदि सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां तथा परिसमापक के निरीक्षण के दौरान आवेदक द्वारा समिति की अतिरिक्त भूमि का उपयोग किया पाया जाता है तो प्रार्थी से 200 प्रतिशत अतिरिक्त भूमि का उपयोग का किराया भी लिया जाएगा, जोकि last visit से लागू होगा।
11. जमीन किराए पर देने से पूर्व एक वर्ष के लिए agreement पर BOD/BOA द्वारा अधिकृत व्यक्ति / परिसमापक / प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
12. आवेदक द्वारा agreement की सभी शर्तों पर शपथ पत्र / undertaking देनी होगी। आवेदक वहीं कार्य करेगा जिसके लिए लीज का आवेदन किया है।
13. आवेदक अपने बसवसाय से संबंधित कोई भी स्वीकृति / टैक्स / मंजूरी संबंधित विभाग से खुद लेगा और ना मिलने के कारण हुई हानि की समिति / विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।
14. किसी भी विवाद की अवस्था में रजिस्ट्रार अथवा उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी का निर्णय दोनों पक्षों का मान्य होगा।

इसके अतिरिक्त परिसमापक / परिसमापनाधीन सहकारी समितियों के लिये सामान्य शाखा के पत्र क्रमांक Gen/GA-1/2020/9448-86 dated 23.12.2020 के द्वारा की गई guidelines की अनुपालना भी सुनिश्चित करनी होगी।



प्रोफार्मा-2

विषय: हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 के सैक्शन 89 के तहत सहकारी विपणन समितियों की अचल सम्पति बेचने की मंजूरी/स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के लिए मुख्य बिंदु/सूचना

उपरोक्त विषय संबंध वारे क्षेत्रीय कार्यालयों से सहकारी विपणन समितियां (परिसमापनाधीन)/कार्यशील की अचल सम्पति बेचने की मंजूरी समय-समय पर मुख्यालय में प्राप्त होती है। अतः निम्न प्रोफार्मा अनुसार समितियों के संबंधित केस इस कार्यालय को भेजे जाए।

सहकारी विपणन समिति का नाम

1	कार्यशील है	हां/ नहीं	
2	परिसमापनाधीन	हां/ नहीं	यदि हां तब किस तिथि से।
3	समिति के पास कुल अचल सम्पति नक्शा (सिजर/ किलेबंदी)	एरिया/ कनाल/ मरला/ गज	खसरा नं०, खतौनी न०, खेवट नं०
4	समिति के पास कुल अचल सम्पति का निर्मित क्षेत्र।	एरिया/ कनाल/ मरला/ गज	खसरा नं०
5	भवन	विवरण	निर्माणदर्प
6	बिक्री हेतु विचाराधीन सम्पति का विवरण/ Photo as well video clip of the property	क्षेत्रफल	खसरा नं०
7	क्या प्रस्तावित भूमि से संबंधित विवाद किसी न्यायालय में लम्बित तो नहीं है?		
8	बिक्री का कारण		
9	बिक्री प्रस्तावित भूमि की अन्तिम जमाबंदी/ गिरदावरी एवं रजिस्टरी/ सेल डीड की प्रति		
10	समिति लाभ में है	हां/ नहीं	यदि नहीं तब हानि का कारण।
11	गत तीन वर्ष की लेखा विवरण बिंदुवार।		
12	समिति की देनदारियों का विवरण।		
13	वर्तमान में समिति में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण।		
14	यदि परिसमापनाधीन है तब कर्मचारियों का विकल्प।		
15	समिति के BOA/BOD द्वारा पारित प्रस्ताव।		
16	सम्पति बेचने का समिति पर प्रभाव।		
17	प्रस्तावित बिक्री भूमि का वर्तमान कलेक्टर रेट (प्रति वर्ग गज)		
18	प्रस्तावित भूमि का वर्तमान बाजारी भाव।		
19	बिक्री से प्राप्त राशि के उपयोग का ब्यौरा।		
20	अन्य विवरण टिप्पणी सहित।		